UPBG050006732022

Civil Suit/347/2022

न्यायालयः अपर सिविल जज (सी०डि०), बागपत।
पीठासीन अधिकारी– **(प्रगति सिंह)** – उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02235
वाद संख्या–306/2022
अग्रिम कुमार आदि बनाम सुनील कुमार आदि।

दिनाँकः 20.12.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।
उभयपक्ष की ओर से **समझौतानामा 20 क** प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद वादीगण ने मान्य न्यायालय में वास्ते घोषणात्मक डिक्री हेतु दायर किया है, जिसमें वादी संख्या–01 व प्रतिवादी संख्या–01 के बाबा व वादी संख्या–02 व प्रतिवादी संख्या–01 के पिता व वादिनी संख्या–03 के ससुर ने अपनी चल–अचल संपत्ति को एक रजि० वसीयत दिनांक 17.07.2019 को की थी जो बही संख्या–03 जिल्द संख्या–333 के पृष्ठ संख्या–111 से 134 तक क्रमांक 516 पर दर्ज होकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बड़ौत में रजिस्टर्ड हुई है। उक्त संपत्ति नक्शे वाद पत्र में परिशिष्ट **ए, बी, सी, डी** से दिखाया है। रजि० वसीयत के आधार पर उक्त संपत्ति की बाबत पक्षकारों का आपस में समझौता हो गया है। अत: प्रार्थना की गयी है कि पक्षकारों को रजि० वसीयत में मिली संपत्ति के समझौते के आधार पर निर्णित किया जाने की कृपा करें।

वादीगण के हस्ताक्षर की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ओमपाल सिंह मान एडवोकेट द्वारा की गयी तथा प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन कुमार एडवोकेट द्वारा की गयी। सुलहनामा न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया, जिसमें पक्षकारों को सुलहनामे की शर्तों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। पक्षकार सुलहनामे की शर्तों से सहमत हैं।

आदेश–23 नियम–3 **सी०पी०सी०** में प्रावधान है कि उभयपक्ष किसी भी स्तर पर आपस में समझौता कर सकते है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी **विधि व्यवस्था मोतीलाल बांकर बनाम महाराज कुमार महमूद हसन खान (ए0 आई0 आर0 1968 सुप्रीम कोर्ट 1087)** में यही सिद्धांत पारित किया है कि किसी भी वाद जोकि न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा सकता है वो समझौते से भी निस्तारित हो सकता है तथा उपरोक्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने **निर्णय ए0 आई0 आर0 1973 सुप्रीम कोर्ट 1311** में भी कहा गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद सुलहनामा/ समझौतानामा **20क** के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

तदानुसार प्रस्तुत वाद, **सुलहनामा/समझौतानामा 20क** के आधार पर निर्णीत किया जाता है। उक्त सुलहनामा मात्र उभयपक्षों पर प्रभावी होगा, न कि अन्य किसी तृतीय पक्ष पर इसका कोई प्रभाव होगा। उक्त सुलहनामें/समझौतेनामें की संपत्ति पक्षकारों के मध्य अंतरण की जाती है, तो वह धारा–17 रजि० अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। समझौतानामा / संधिपत्र **20क** का किसी विधिक अन्तरण पर कोई प्रभावी नहीं होगा। सुलहनामा/समझौतानामा 20क डिक्री का अंश होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रगति सिंह)
अपर सिविल जज(सी०डि०)
जनपद न्यायालय, बागपत।

Digitally signed by Pragati Singh
Date: 2023.12.21 17:40:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court